न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छोटीसादड़ी,
जिला प्रतापगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी	–	**मनीषा अग्रवाल, (आर.जे.एस.)**
नियमित दाण्डिक प्र.सं.	–	**282/2015**
CNR NO.	–	**RJPG07–000330–2015**
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	–	**183/2015**
पुलिस थाना	–	**छोटीसादड़ी**

राजस्थान राज्य **बनाम** **कैलाश वगैरह**

अपराध अन्तर्गत धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता

भाग– प्रथम

A

परिवादी	श्री जानकी लाल पिता अमृत लाल, उम्र 46 साल, निवासी छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)
प्रस्तुतकर्ता	
अभियुक्तगण का नाम व पता	**01 – कैलाश पिता सूरजमल, उम्र 22 साल, निवासी साकरिया, थाना सदर निम्बाहेड़ा, जिला चितौड़गढ़(राज.)** **02 – रतनलाल पिता नानुराम, उम्र 27 साल, निवासी साकरिया, थाना सदर निम्बाहेड़ा, जिला चितौड़गढ़(राज.)** **03 – अमजद खान पिता मो. सईद खान, उम्र 26 साल, निवासी सादलखेड़ा, थाना निकुम्भ, जिला चितौड़गढ़ हाल ईशाकाबाद निम्बाहेड़ा, जिला चितौड़गढ़(राज.)** **04 – मनोहर पिता मदनलाल, उम्र 20 साल, निवासी साकरिया, थाना सदर निम्बाहेड़ा, जिला चितौड़गढ़(राज.)** **05 – गुटटन उर्फ अर्जुन पिता नारायणलाल, उम्र 20 साल, निवासी साकरिया, थाना सदर निम्बाहेड़ा, जिला चितौड़गढ़(राज.)** **06 – अकबर अली पिता नूर अली, उम्र 22 साल, निवासी साकरिया, थाना सदर निम्बाहेड़ा, जिला चितौड़गढ़(राज.)**
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री शांतिलाल कोठारी

B

अपराध की दिनांक	20 व 21.07.2015 की मध्य रात्रि
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	21.07.2015
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	29.09.2015
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	दिनांक 11.01.2016 को अभियुक्तगण कैलाश, रतनलाल, गुटटन उर्फ अर्जुन, मनोहर कीर तथा अकबर अली एवं दिनांक 02.03.2016 को अभियुक्त अमजद खान
साक्ष्य प्रारम्भ की दिनांक	दिनांक 02.03.2016

निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	02.04.2026
निर्णय दिनांक	02.04.2026
दण्डादेश की दिनांक	.....

C

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त गण की रैंक	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	कैलाश पिता सूरजमल, उम्र 22 साल, निवासी साकरिया, थाना सदर निम्बाहेड़ा, जिला चितौड़गढ़(राज.)	22.07.2015	29.07.2015	380 भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्त	–	–
02	रतनलाल पिता नानुराम, उम्र 27 साल, निवासी साकरिया, थाना सदर निम्बाहेड़ा, जिला चितौड़गढ़(राज.)	21.07.2015	29.07.2015	380 भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्त	–	–
03	अमजद खान पिता मो. सईद खान, उम्र 26 साल, निवासी सादलखेड़ा, थाना निकुम्भ, जिला चितौड़गढ़ हाल ईशाकाबाद निम्बाहेड़ा, जिला चितौड़गढ़(राज.)	21.07.2015	29.07.2015	380 भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्त	–	–
04	मनोहर पिता मदनलाल, उम्र 20 साल, निवासी साकरिया, थाना सदर निम्बाहेड़ा, जिला चितौड़गढ़(राज.)	21.07.2015	29.07.2015	380 भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्त	–	–
05	गुटटन उर्फ अर्जुन पिता नारायणलाल, उम्र 20 साल, निवासी साकरिया, थाना सदर निम्बाहेड़ा, जिला चितौड़गढ़(राज.)	21.07.2015	30.07.2015	380 भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्त	–	–
06	अकबर अली पिता नूर अली, उम्र 22 साल, निवासी साकरिया, थाना सदर निम्बाहेड़ा, जिला चितौड़गढ़(राज.)	21.07.2015	07.08.2015	380 भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्त	–	–

भाग द्वितीय
अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

पी.डब्ल्यू 1	जानकीलाल	ताईद एफ.आई.आरकर्ता, फर्द शिनाख्तगी व फर्द सुपुर्दगी भैंसों की ताईदकर्ता
पी.डब्ल्यू 2	ईश्वरलाल	फर्द शिनाख्तगी व फोरमल फर्द जप्ती भैंसे व सुपुर्दगी भैसों की ताईदकर्ता व फर्द गिरफ्तारी व तस्दीक मौका, मुलजिम कैलाश, अमजद खां, रतनलाल, मनोहर की ताईदकर्ता
पी.डब्ल्यू 3	केशुराम	फर्द निरीक्षण घटनास्थल की ताईदकर्ता
पी.डब्ल्यू 4	युधिष्ठिर	फर्द निरीक्षण घटनास्थल व फर्द तस्दीक मौका मुलजिम कैलाश व फर्द सुपुर्दगी भैसों की ताईदकर्ता
पी.डब्ल्यू 5	दीपक सिंह	फर्द जप्ती टेम्पों व फर्द निरीक्षण बरामदगी स्थल व मुलजिम गुटटन की फर्द गिरफ्तारी व फर्द तस्दीक मौका की ताईदकर्ता
पी.डब्ल्यू 6	नारायणसिंह	फर्द गिरफ्तारी व फर्द तस्दीक मौका मुलजिम अकबर अली की ताईदकर्ता
पी.डब्ल्यू 7	मगनीराम	फर्द जप्ती भैसों की मौजा सादलखेड़ा के पास की ताईदकर्ता
पी.डब्ल्यू 8	लक्ष्मणसिंह	हालात तफ्तीश अर्ज कर्ता
पी.डब्ल्यू 9	कैलाशचंद्र	एफ.आई.आर. दर्ज कर चार्जशीट कता करना

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–		

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–		

<u>अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श</u>

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
1	प्रदर्श पी. 1	चोरी की रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी. 2	चाक एफआईआर
3	प्रदर्श पी. 3	नक्शा मौका
4	प्रदर्श पी. 4	फर्द सुपुर्दगी भैंस
5	प्रदर्श पी. 5	फर्द शिनाख्तगी भैंसे

6	प्रदर्श पी. 6	मौका तस्दीक
7	प्रदर्श पी. 7	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त कैलाश
8	प्रदर्श पी. 8	तस्दीक मौका
9	प्रदर्श पी. 9	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त रतनलाल
10	प्रदर्श पी. 10	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त अमजद खां
11	प्रदर्श पी. 11	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त् मनोहर कीर
12	प्रदर्श पी. 12	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त गुटटन उर्फ अर्जुन
13	प्रदर्श पी. 13	फर्द जप्ती टेम्पो
14	प्रदर्श पी. 14	फर्द निरीक्षण टेम्पो बरामदगीस्थल
15	प्रदर्श पी. 15	मौका तस्दीक अभियुक्त गुटटन की निशानदेही
16	प्रदर्श पी. 16	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त अकबर
17	प्रदर्श पी. 17	मौका तस्दीक अभियुक्त अकबर अली
18	प्रदर्श पी. 18	फर्द जप्ती भैंस
19	प्रदर्श पी. 19 लगायत 24	पूछताछ नोट
20	प्रदर्श पी. 25	फोरमल फर्द जप्ती भैंस
21	प्रदर्श पी. 26 लगायत 31	27 साक्ष्य अधिनियम की सूचनाएं
22	प्रदर्श पी. 32	फर्द पेशकशी व फर्द सुपुर्दगी

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
–	–	–

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
–		

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नम्बर	विवरण
–		

निर्णय

दिनांकः 02.04.2026

01– इस प्रकरण का उदभव दिनांक थानाधिकारी पुलिस थाना छोटीसादड़ी की ओर से जरिये अभियोजन अधिकारी, अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पत्र न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़ में प्रस्तुत किया गया। जिस कारण यह प्रकरण उदभवित हुआ।

02– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 21.08.2015 को प्रार्थी जानकीलाल ने उपस्थित थाना हो एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि आज दिनांक 20.07.2015 को प्रार्थी सुबह उसका कुआ राती तलाई के पास उसका कुआ व जहां पर वह पशु रखता है। वह सुबह जाकर देखता है, तो उसकी दो भैंस अज्ञात बदमाश चुराकर ले गया है। जिनकी उसने आसपास बहुत तलाश की मगर नहीं मिली..आदि–आदि।

03– उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना छोटीसादड़ी में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 183/2015 अपराध अंतर्गत धारा 380 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता में पेश किया गया था। अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथमदृष्ट्या उक्त अपराध का मामला बनना पाये जाने पर दिनांक 29.09.2015 को उक्तानुसार धाराओं में अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया।

04– दिनांक 11.01.2026 को बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण कैलाश, रतनलाल, गुटटन उर्फ अर्जुन, मनोहर कीर तथा अकबर अली एवं दिनांक 02.03.2016 को अभियुक्त अमजद खान को अपराध अंतर्गत धारा 380 भा.द.सं. के आरोप पृथक से विरचित कर लिखित रूप में सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्तगण ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

05– अभियुक्तगण के दिनांक 02.04.2026 को धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत् बयान मुलजिम लिये गये। अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्यों का गलत होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा एवं कथन किया कि वे निर्दोष हैं।

07– उभय पक्ष की बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान तथा पेश दस्तावेजी साक्ष्य अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने के लिये पर्याप्त हैं। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

08– अधिवक्ता अभियुक्तगण ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अभियोजन की ओर से जो गवाहान परीक्षित हुये हैं, उनके कथनों में गंभीर विरोधाभास है तथा अभियुक्त को झूंठा फंसाया गया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में पूर्णरूप से असफल रहा है। अतः अधिवक्ता अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित करने का

निवेदन किया।

09– पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न निम्नानुसार है–

01. **आया आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर दिनांक 20 व 21.07.2015 की मध्य रात्रि में किसी समय मौजा ग्राम गोमाना में राती तलाई स्थित परिवादी जानकीलाल पुत्र अमृतलाल तेली के कुये पर बंधी परिवादी की दो भैंसों को बिना परिवादी की सहमति के बेईमानीपूर्वक आशय रखते हुये ले जाकर चोरी कारित की ?**

03. **यदि हाँ, तो अभियुक्तगण के लिये न्यायोचित दण्ड क्या होगा ?**

10– उपरोक्त विचारणीय बिंदु को साबित करने के क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर प्रकरण में कुल 09 गवाहों को परीक्षित करवाये गये हैं। हस्तगत प्रकरण का मुख्य गवाह परिवादी जानकीलाल गवाह पी.ड.01 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ। जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि तीन–चार साल पहले की बात है। उसका कुआ उसके घर से दूर है, वहां पर एक बाड़ा बना हुआ है। ईंटों का बाड़े में दो बैल, दो भैंसे, दो गाय और दो बछड़े थे। वह वहां पर सभी को बाड़े में बांधकर दूध निकालकर बाहर से ताला लगाकर घर आया, फिर वह सुबह छः बजे करीब वापिस कुये पर गया तो बाड़े में कुछ कच्ची ईंटों को हटाकर उसकी दो भैंसे निकालकर चोरी कर ले गये थे। वह, उसका भाई युधिष्ठिर व उसका बच्चा ईश्वरलाल ने देखा तो उसकी भैंस नहीं थी। उसकी एक भैंस की उम्र दस साल की थी जो दूध देती थी व उसका बच्चा भी था। इसी भैंस के सिंग थोड़े मुड़े हुये थे व काले रंग की थी। दूसरी भैंस की उम्र चार साल थी जिसका एक पैर टूटा हुआ था। उसका रंग भूरा था जो व्याहने वाली थी। दोनों मिलाकर एक लाख कीमत की थी। चोरी हो गई थी जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, चाक एफआईआर प्रदर्श पी.02 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने मौके पर आकर मौका नक्शा बनाया था जो प्रदर्श पी.03 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उक्त चोरी हुई भैंस उसको सुपुर्द की थी जो फर्द सुपुर्द प्रदर्श पी.04 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसकी भैंसों की पहचान करवाई थी। फर्द शिनाख्तगी भैंसे प्रदर्श पी.05 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में उक्त गवाह ने यह स्वीकार किया कि रिपोर्ट उसने अज्ञात के खिलाफ की थी। पुलिस ने रिपोर्ट के तीसरे दिन भैंसे सुपुर्द की थी। भैंसे निकुम्भ थाने से लेकर आये थे। उसको कोई मुलजिम नहीं बताये थे। कहां से जप्त करके लाये थे, यह भी उसको नहीं बताया था। उसको जो भैंसे सुपुर्द की थी उसके हस्ताक्षर निकुम्भ थाने में करवाये थे। भैंसे जमानत पर सुपुर्द की थी। सभी फर्दों पर हस्ताक्षर अलग–अलग जगह करवाये थे, लेकिन कहां पर करवाये उसको जानकारी नहीं है। वह मुलजिमों को पहले से नहीं जानता था। वह अभी मुलजिमानों को नहीं जानता है।

11– अभियोजन पक्ष की ओर से **गवाह पी.ड.04 युधिष्ठिर** को न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित करवाया गया, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि पांच वर्ष पूर्व पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.03 बनाया था जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने तस्दीक मौका प्रदर्श पी.08 उसके सामने बनाया था, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके सामने दो भैंसे जरिये फर्द प्रदर्श पी.04

जानकीलाल को सुपुर्द की थी जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में उक्त गवाह ने यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी.03, पी.08 व पी.08 पर उसके हस्ताक्षर थाने पर करवाये थे। गवाह ने यह स्वीकार किया कि तीनों हस्ताक्षर उसने एक ही दिन छोटीसादड़ी थाने में किये थे। उसने हस्ताक्षर किये उस समय थाने में उक्त भैंसे नहीं थी।

12– अभियोजन पक्ष की ओर से **गवाह पी.ड.03 केशुराम** को न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित करवाया गया, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि फर्द निरीक्षण घटनास्थल प्रदर्श पी.03 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में उक्त गवाह ने कथन किया कि उसके उक्त दस्तखत किस बात के कराये थे उसको पुलिस वालों ने नहीं बताया था। उक्त दस्तखत कहां कराये यह भी उसको मालूम नहीं। प्रदर्श पी.03 दस्तखत करते समय खाली था या भरा था उसको मालूम नहीं। उसके साथ किसी ओर ने भी दस्तखत किये हो तो उसको याद नहीं।

13– अभियोजन पक्ष की ओर से **गवाह पी.ड.02 ईश्वर** को न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित करवाया गया, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 25.07.2015 की बात है। पुलिस ने मौका तस्दीक करवाया था। पुलिस मुलजिम को लेकर उनके कुये पर बाड़ा बना हुआ है। वहां पर लेकर आई थी। मौका तस्दीक प्रदर्श पी.06 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस मुलजिम कैलाश को गिरफ्तार किया था, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श् पी.07 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उनकी चोरी हुई भैंसों की पहचान करवाई थी। फर्द शिनाख्तगी भैस प्रदर्श पी.05 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में उक्त गवाह ने कथन किया कि शिनाख्तगी की जब दो ही भैंसे थी और भैंसे नहीं थी जो भैंसे उनकी ही थी। पुलिस वाले ने उन्हें जानकारी दी कि उनकी भैंसे मिल गई है और निकुम्भ चलना है। जिस पर वे निकुम्भ पुलिस वालों के साथ गये थे। प्रदर्श पी.06 पर हस्ताक्षर उसने थाने में किये थे। प्रदर्श पी.06 पर उसने हस्ताक्षर किये थे, वहां पर कैलाश, मनोहर एक व्यक्ति मुस्लिम था उसका नाम उसको पता नहीं है। इसके अलावा और भी व्यक्ति थे जिनके नाम उसको पता नहीं है। प्रदर्श पी.06 पर उसके अलावा युधिष्ठिर व अशोक दासजी ने हस्ताक्षर किये थे। उन्होंने भी थाने में हस्ताक्षर किये थे।

14– अभियोजन पक्ष की ओर से **गवाह पी.ड.05 दीपक सिंह** को न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित करवाया गया, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 21.07.2015 को थाना छोटीसादड़ी में कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन थाने पर भैंस चोरी के संबंध में थाने पर प्रकरण संख्या 183/2015 दर्ज हुआ था। जिसमें दिनांक 24.07.2015 को आप मुलजिम रतनलाल को गिरफ्तार किया गया था। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.09 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। आप मुलजिम अमजद खां पिता मोहम्मद शाहीद खां की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.10 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। आप मुलजिम मनोहर कीर पिता मदनलाल कीर की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.11 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 27.07.2015 फर्द गिरफ्तारी गुटटन उर्फ अर्जुन रावत प्रदर्श पी.12 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 25.07.2015 को मुलजिम की रतनलाल की निशादेही से गांव साकरिया में मुलजिम के मकान के आगे एक टेम्पो टाटा में

जिक को जप्त किया गया था। फर्द जप्ती प्रदर्श पी.13 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द निरीक्षण टेम्पो बरामदगी स्थल प्रदर्श पी.14 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 28.07.2015 को आप मुलजिम गुटटन की निशानदेही से मौका तस्दीक तैयार किया गया जो प्रदर्श पी.15 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में उक्त गवाह ने यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी.09 से 12 थाने में तैयार किये गये। मुलजिमान को पकड़कर लाये या थाने में स्वयं आये हो आज उसको पता नहीं है। गवाह ने यह स्वीकार किया कि उक्त् प्रकरण में एक गवाह पुलिस जाप्ते में से ही है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की सूचना उनके परिवार वालों को देने के बारे में जांच अधिकारी या गिरफ्तारकर्ता ने दी होगी उसको नहीं पता। साकरिया गांव में टेम्पो जप्त करने के लिये कार से गये या मोटरसाईकिल से गये यह उसको पता नहीं है। टेम्पो के नंबर आर.जे.09 जी.ए.8773 है। टेम्पो के आगे कांच पर ''जय माता दी'' लिखा हुआ था। अभियुक्त रतनलाल की बरामदगी स्थल की रतनलाल के अलावा किसी से पूछताछ नहीं का। गवाह ने यह स्वीकार किया कि अभियुक्त रतनलाल की बरामदगी स्थल के सामने आम रास्ता है। स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं था। प्रदर्श पी.15 की मौका तस्दीक का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं होने से जाप्ते में से ही मौतबीर मामुर कर मौका तस्दीक बनाया गया। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि प्रदर्श पी.13, पी.14 एवं पी.15 थाने पर बैठकर बनाये हो, जबकि मौके पर जाकर ही तैयार किये थे।

15– अभियोजन पक्ष की ओर से **गवाह पी.ड.06 नारायणसिंह** को न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित करवाया गया, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 03.08.2015 को वह थाना, छोटीसादड़ी में कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन उसके सामने आप मुलजिम अकबर अली पिता नूर अली को गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.16 व अभियुक्त अकबर अली की मौका तस्दीका प्रदर्श पी.17 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में उक्त गवाह ने यह स्वीकार किया कि अभियुक्त् अकबर अली की गिरफ्तारी थाने पर ही की गई थी। अभियुक्त स्वैच्छा से थाने में आया था। मौका तस्दीक में दोनों गवाह जाप्ते में से ही लिये गये थे और कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। मौके से अभियुक्त को सरकारी वाहन से ही लेकर गये थे। सरकारी वाहन के नंबर आज उसको याद नहीं है और कौन चलाकर लेकर गया, यह आज याद नहीं है।

16– अभियोजन पक्ष की ओर से **गवाह पी.ड.07 मगनीराम** को न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित करवाया गया, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि आठ–नौ साल पहले चार व्यक्ति एक टेम्पो लेकर आये थे, जिनमें दो–तीन भैंसे थी जो बेचने के लिये बोल रहे थे, फिर उन्होंने उन चार से पूछताछ की तो उनमें से तीन व्यक्ति भाग गये और एक को उन्होंने पकड़ लिया था, फिर उन्हें शेका होने पर थाने में फोन लगाया था। उन्होंने उसको भैंसों के बारे में पूछा तो बताया कि वे छोटीसादड़ी से लेकर आये हैं। जिस व्यक्ति से भैंसे पकड़ी थी उसका गिरफ्तार किया था। फर्द गिरफ्तारी आप मुलजिम कैलाश प्रदर्श पी.17 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द जप्ती भैंस प्रदर्श पी.18 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर उक्त गवाह को **पक्षद्रोही** घोषित किया गया। अभियोजन अधिकारी द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में उक्त गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि जिस व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा था उस व्यक्ति का नाम कैलाश पिता सूरजमल हो। गवाह

ने इस सुझाव से इन्कार किया कि कैलाश से ही पुलिस वालों ने भैंसे जप्त की हो। पुलिस बयान प्रदर्श पी.19 का ए से बी भाग सुनकर कहा कि ऐसा उसने पुलिस वालों को नहीं लिखवाया है। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि वह मुलजिम को बचाने के लिये झूंठे बयान दे रहा हो। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में उक्त गवाह ने कथन किया कि खाली कागज पर पुलिस वालों ने उसके हस्ताक्षर करवाये थे।

17– अभियोजन पक्ष की ओर से **गवाह पी.ड.08 लक्ष्मणसिंह** को न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित करवाया गया, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह दिनांक 21.07.2015 को पुलिस थाना, छोटीसादड़ी पर हेड कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन प्रकरण संख्या 183/2015 धारा 380 का अनुसंधान उसके जिम्मे किया गया था। दौराने अनुसंधान उसने बयान प्रार्थी जानकीलाल के उसके कहेनुसार लेखबद्ध किये थे। घटनास्थल का निरीक्षण किया जो प्रदर्श पी.03 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। फर्द बरामदगी लोडिंग टेम्पो प्रदर्श पी.14 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मौका तस्दीक अमजद प्रदर्श पी.06 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मौका तस्दीक गुटन प्रदर्श पी.15 है पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द तस्दीक अकबर प्रदर्श पी.17 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.07, 09, 10, 11, 12 और 16 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पूछताछ नोट प्रदर्श पी.19 लगायत प्रदर्श पी.24 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फोरमल फर्द जप्ती प्रदर्श पी.25 भैंसे है पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दफा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी.26 लगायत 31 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। भैंसों की सुपुर्दगी प्रदर्श पी.04 है पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। फर्द शिनाख्तगी भैंसे प्रदर्श पी.05 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। संपूर्ण अनुसंधान से मुलजिमान कैलाश, अकबर, मनोहर, गुटन उर्फ अर्जुन, रतनलाल, अमजद के विरूद्ध जुर्म धारा 380 भादस का प्रमाणित मानकर पत्रावली वास्ते चार्जशीट कता कर न्यायालय में पेश की थी। एफआईआर प्रदर्श पी.01 है जिस पर सी से डी कैलाश बोरीवाल के हस्ताक्षर है, जिनके अधीनस्थ होने से वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी.02 है जिस पर सी से डी एसएचओ के हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में उक्त गवाह ने यह स्वीकार किया कि एफआईआर अज्ञात मुलजिमान के खिलाफ दी गई थी। गवाह ने यह स्वीकार किया कि प्रार्थी की निशादेही से मौका नक्शा बनाया था। गवाह ने यह स्वीकार किया कि बरामदगी के कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाये गये थे। मौके पर कोई स्वतंत्र गवाह नहीं होने से पुलिस जाप्ते में से मौतबीर मामुर किये थे। मौका तस्दीक प्रदर्श पी.08, पी.06, 15, 17 एक ही प्रकार के बने हुये हैं, क्योंकि घटनास्थल एक ही होने से सभी मुलजिमान ने बारी–बारी से मौका तस्दीक कराई थी जो मुलजिमान के फर्द सूचना के बताये अनुसार फर्द मौका तस्दीक बनाई गई थी। यह उसको याद नहीं है कि सभी मुलजिमान को एक साथ या अलग–अलग गिरफ्तार किया था। यह भी याद नहीं है कि सभी गिरफ्तारी में गवाह एक हो या अलग–अलग हो। मुलजिम को पुलिस थाना, छोटीसादड़ी में सुपुर्द की थी। गवाह ने यह स्वीकार किया कि भैंसे निकुम्भ थाने वालों ने जप्त की थी। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि भैंसों को वहीं से प्रार्थी को सुपुर्द की गई हो।

18– अभियोजन पक्ष की ओर से **गवाह पी.ड.09 कैलाशचंद्र** को न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित करवाया गया, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह दिनांक 21.07.2015 को थानाधिकारी, छोटीसादड़ी के पद पर तैनात था। प्रार्थी

जानकीलाल की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 183/2015 धारा 380 भादस में पंजीबद्ध कर अनुसंधान लक्ष्मणसिंह हेड कानि. के जिम्मे किया जो मूल ही रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी.02 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। आप मुलजिम कैलाश, रतनलाल, अमजद, मनोहर व गुटटन उर्फ अर्जुन, अकबर अली के खिलाफ अरोप पत्र मूर्तिब कर न्यायालय में पेश किया। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में उक्त गवाह ने यह स्वीकार किया कि रिपोर्ट में मुलजिमानों के नाम नहीं थे ना ही उनकी संख्या थी।

19– सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर आई संपूर्ण साक्ष्य का अवलोकन कर उस पर मनन करने से प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण परिवादी जानकीलाल के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 पर आधारित है, जिसमें उसने अंकित किया है कि आज दिनांक 20.07.2015 को प्रार्थी सुबह उसका कुआ राती तलाई के पास उसका कुआ व जहां पर वह पशु रखता है। वह सुबह जाकर देखता है, तो उसकी दो भैंस अज्ञात बदमाश चुराकर ले गया है। जिनकी उसने आसपास बहुत तलाश की मगर नहीं मिली..आदि–आदि।

20– इस संबंध में यदि पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो हस्तगत प्रकरण की मुख्य गवाह परिवादी जानकीलाल गवाह पी.ड.01 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि तीन–चार साल पहले की बात है। उसका कुआ उसके घर से दूर है, वहां पर एक बाड़ा बना हुआ है। ईंटों का बाड़े में दो बैल, दो भैंसे, दो गाय और दो बछड़े थे। वह वहां पर सभी को बाड़े में बांधकर दूध निकालकर बाहर से ताला लगाकर घर आया, फिर वह सुबह छः बजे करीब वापिस कुये पर गया तो बाड़े में कुछ कच्ची ईंटों को हटाकर उसकी दो भैंसे निकालकर चोरी कर ले गये थे। वह, उसका भाई युधिष्ठिर व उसका बच्चा ईश्वरलाल ने देखा तो उसकी भैंस नहीं थी। उसकी एक भैंस की उम्र दस साल की थी जो दूध देती थी व उसका बच्चा भी था। इसी भैंस के सिंग थोड़े मुड़े हुये थे व काले रंग की थी। दूसरी भैंस की उम्र चार साल थी जिसका एक पैर टूटा हुआ था। उसका रंग भूरा था जो व्याहने वाली थी। दोनों मिलाकर एक लाख कीमत की थी। चोरी हो गई थी जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, चाक एफआईआर प्रदर्श पी.02 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने मौके पर आकर मौका नक्शा बनाया था जो प्रदर्श पी.03 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उक्त चोरी हुई भैंस उसको सुपुर्द की थी जो फर्द सुपुर्द प्रदर्श पी.04 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसकी भैंसों की पहचान करवाई थी। फर्द शिनाख्तगी भैंसे प्रदर्श पी.05 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। गवाह ने दौराने जिरह कथन किया कि पुलिस ने रिपोर्ट के तीसरे दिन भैंसे सुपुर्द कर दी थी। इस संबंध में यदि लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 का अवलोकन किया जावे तो लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 दिनांक 21.07.2015 को फरियादी द्वारा थाने में पेश की गई थी तथा सुपुर्दगी भैंसे प्रदर्श पी.04 दिनांक 25.08.2015 को मूर्तिब की गई है। इस प्रकार फरियादी का यह कथन किया कि उसको लिखित रिपोर्ट के तीसरे दिन भैंसे सुपुर्दगी पर प्राप्त हो गई थी संदेहास्पद हो जाती है। गवाह ने जिरह में यह भी कथन किया कि भैंसे निकुंभ थाने से लेकर आये थे तथा जो भैंसे सुपुर्द की थी उसके हस्ताक्षर निकुंभ थाने में करवाये थे। गवाह पी.ड.08 लक्ष्मणसिंह ने इस सुझाव को गलत बताया कि भैंसो को निकुंभ थाने से ही प्रार्थी को सुपुर्द कर दी थी। ऐसी स्थिति में यदि भैंसों को निकुंभ थाने से प्रार्थी को सुपुर्द नहीं की थी तो उसके हस्ताक्षर

निकुंभ थाने में क्यों करवाये गये यह संदेहास्पद हो जाता है जो अभियोजन पक्ष की कहानी को कमजोर बनाता है। हस्तगत प्रकरण का अन्य मुख्य गवाह ईश्वरलाल मौका तस्दीक प्रदर्श पी.06 पर ए से बी, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम कैलाश प्रदर्श पी.07 पर ए से बी, फर्द शिनाख्तगी प्रदर्श पी.08 पर ए से बी स्वयं के हस्ताक्षर होना कथन करता है। न्यायालय के मत में फरियादी द्वारा रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध दर्ज करवाई गई है। प्रकरण में चोरीशुदा भैंसे थाना निुकुभ में धारा 102 द.प्र.सं. में जप्त किया जाना व हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा फरियादी से चोरीशुदा भैंसों की शिनाख्गती करवाया जाना व फार्मल जप्त किये जाने से उदभव हुआ है। ऐसी स्थिति में अनुसंधान अधिकारी प्रकरण का महत्वपूर्ण गवाह हो जाता है। हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी लक्ष्मणसिंह गवाह पी.ड.08 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ है। गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 21.07.2015 को पुलिस थाना, छोटीसादड़ी पर हेड कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन प्रकरण संख्या 183/2015 धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता का अनुसंधान उसके जिम्मे किया गया था। दौराने अनुसंधान उसने बयान प्रार्थी जानकीलाल के उसके कहेनुसार लेखबद्ध किये थे। घटनास्थल का निरीक्षण किया जो प्रदर्श पी.03 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। फर्द बरामदगी लोडिंग टेम्पो प्रदर्श पी.14 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मौका तस्दीक अमजद प्रदर्श पी.06 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मौका तस्दीक गुटटन प्रदर्श पी.15 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द तस्दीक अकबर प्रदर्श पी.17 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.07, 09, 10, 11, 12 और 16 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पूछताछ नोट प्रदर्श पी.19 लगायत प्रदर्श पी.24 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फोरमल फर्द जप्ती प्रदर्श पी.25 भैंसे है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी.26 लगायत 31 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। भैंसों की सुपुर्दगी प्रदर्श पी.04 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। फर्द शिनाख्तगी भैंसे प्रदर्श पी.05 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। संपूर्ण अनुसंधान से मुलजिमान कैलाश, अकबर, मनोहर, गुटन उर्फ अर्जुन, रतनलाल, अमजद के विरूद्ध जुर्म धारा 380 भादस का प्रमाणित मानकर पत्रावली वास्ते चार्जशीट कता कर न्यायालय में पेश की थी। एफआईआर प्रदर्श पी.01 है जिस पर सी से डी कैलाश बोरीवाल के हस्ताक्षर है, जिनके अधीनस्थ होने से वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी.02 है जिस पर सी से डी एसएचओ के हस्ताक्षर है। गवाह ने उसके धारा 102 द.प्र.सं. में की गई सूचना किस व्यक्ति से, किस प्रकार व किस दिनांक को प्राप्त हुई। इसके संबध में कोई भी कथन न्यायालय के समक्ष नहीं किये हैं जो अभियोजन पक्ष की कहानी को कमजोर बनाता है तथा अभियुक्त हस्तगत प्रकरण में जोड़े जाने वाली कड़ी को तोड़ता है। गवाह ने अभियुक्तगण द्वारा धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी.26 से पी.31 दिया जाना व उक्त सूचना के आधार पर मौका तस्दीक मुलजिम कैलाश प्रदर्श पी.08, मौका तस्दीक मुलजिम अमजद प्रदर्श पी.06, मौका तस्दीक मुलजिम गुटटन प्रदर्श पी.15 व फर्द तस्दीक प्रदर्श पी.17 मूर्तिब किया जाना कथन किया है। प्रदर्श पी.26 से पी.31 का अवलोकन किया जावे तो अभियुक्तगण द्वारा चोरीस्थल बताया जाने बाबत् सूचना दिया जाना अंकित है। इस संदर्भ में न्यायालय का मत है कि दिनांक 21.07.2015 को अनुसंधान अधिकारी द्वारा फर्द निरीक्षण घटना प्रदर्श पी.03 बनाया गया था, जिसमें पूर्व ही घटनास्थल की जानकारी अनुसंधान अधिकारी को प्राप्त हो गई थी तथा प्रदर्श पी.06, प्रदर्श पी.08, पी.15 व 17 दिनांक

24.07.2015 को मूर्तिब की गई है। न्यायालय के मत में यदि पुलिस को घटनास्थल या वस्तु का स्थान पहले से ही पता था, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा दी गई 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी.26 से पी.31 व उसके आधार पर बनाये गये मौका पर्चा प्रदर्श पी.06, 08, 15 व 17 का कोई साक्षिक महत्व नहीं रह जाता है। अभियोजन पक्ष द्वारा धारा 102 द.प्र.सं. प्रदर्श पी.18 व फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.17 की कार्यवाही किये जाने वाले अधिकारी को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं करवाया गया है तथा उक्त कार्यवाही के गवाह पी.ड.07 मगनीराम न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ है। गवाह ने पकड़े गये व्यक्ति का नाम उसे पता नहीं होना कथन किया है। गवाह ने दौराने इस सुझाव को गलत बताया कि जिस व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा था उसका नाम कैलाश पिता सूरज हो। गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि कैलाश से ही पुलिस वालों ने भैंसे जप्त की हो। प्रदर्श पी.19 का ए से बी भाग सुनकर कहा कि ऐसा उसने पुलिस वालों नहीं लिखवाया जाना कथन करते हुये पुलिस वालों द्वारा खाली कागज पर हस्ताक्षर कराया जाना कथन किया है जो अभियोजन पक्ष की कहानी को बेहद कमजोर बनाता है। फर्द निरीक्षण घटनास्थल प्रदर्श पी.03 के गवाह पी.ड.03 केशुराम ने अपने मुख्य परीक्षण में प्रदर्श पी.03 पर सी से डी स्वयं के हस्ताक्षर होना कथन किया है, पंरतु दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि उसके हस्ताक्षर किस बात के करवाये थे यह उसे पता नहीं है कहा करवाये थे यह भी उसे पता नहीं है। इसी प्रकार गवाह पी.ड.04 युधिष्ठिर घटनास्थल नक्शा मौका प्रदर्श पी.03 पर ई से एफ हस्ताक्षर होना कथन करता है। दौराने जिरह यह स्वीकार करता है प्रदर्श पी.03 पर हस्ताक्षर थाने में करवाये थे। गवाह तस्दीक मौका प्रदर्श पी.08 व फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी.04 पर ए से बी व सी से डी स्वयं के हस्ताक्षर होना कथन करता है। दौराने जिरह इस सुझाव को स्वीकार करता है प्रदर्श पी.03, पी.04 व पी.08 पर पुलिस वालों ने एक ही दिन में छोटीसादड़ी थाने में हस्ताक्षर करवाये थे। प्रदर्श पी.03 दिनांक 21.07.2015 को मूर्तिब किया गया है। प्रदर्श पी.08 दिनांक 24.07.2015 को मूर्तिब किया गया है तथा प्रदर्श पी.04 दिनांक 25.08.2015 को मूर्तिब किया गया है। गवाह उक्त फर्दों पर एक ही दिन में हस्ताक्षर किया जाना कथन करता है जो हस्तगत प्रकरण में की गई कार्यवाही को संदेह के घेरे में लाता है। गवाह ने दौराने जिरह यह भी स्वीकार किया कि जब हस्ताक्षर किये उस समय भैंसे नहीं थी जो कि गई कार्यवाही को पुनः संदेहास्पद बनाता है। गवाह पी.ड.06 नारायणसिंह फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.16 व पी.17 का गवाह है। गवाह उक्त फर्दों पर ए से बी हस्ताक्षर होना कथन करता है। गवाह पी.ड.10 औंकार फर्द जप्ती प्रदर्श पी.25 का गवाह है, गवाह प्रदर्श पी.25 पर सी से डी व फर्द सुपुर्दगी व पेशगी पर ए से बी स्वयं के हसताक्षर होना कथन करता है। फर्द पेशगी व सुपुर्दगी प्रदर्श पी.32 है। दौराने जिरह गवाह कथन करता है कि एक ही गाय थी उसके बच्चे नहीं थे। गाय पीले कलर की रेडी गाय थी। गवाह गायों की जप्ती के संबंध में कथन करता है, जबकि चोरी की रिपोर्ट भैंसे चोरी होने के संबंध में की गई है जो विरोधाभासी कथन करता है। गवाह एक ही गाय को लाना व उसके बच्चों को नहीं लाना कथन करते है। जबकि पुलिस द्वारा दो भैंसे जप्त किया जाना अंकित है जो गवाह के कथनों से विरोधाभासी कथन है तथा अभियोजन पक्ष की कहानी को संदेहास्पद बनाते है। गवाह पी.ड.09 कैलाशचंद्र लिखित रिपोर्ट दर्ज करना व चाक एफआईआर पर स्वयं के हस्ताक्षर होना व अभियुक्तगण के खिलाफ आरोप मूर्तिब कर चालान न्यायालय में पेश करना कथन करता है। गवाह पी.ड.05 दीपक सिंह फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.09 लगायत पी.12, फर्द जप्ती प्रदर्श पी.13 व फर्द निरीक्षण बरामदगीस्थल टेम्पो का प्रदर्श पी.14 का गवाह है, जिससे

न्यायालय को अन्य गवाह के विरोधाभासी कथन होने व अभियोजन पक्ष की कहानी संदेहास्पद होने से कोई विशेष सहायता प्राप्त नहीं होती है। न्यायालय के मत में अभियोजन पक्ष की ओर प्रस्तुत गवाहान विरोधाभासी कथन करते हैं। प्रकरण का फर्द जप्ती मुख्य गवाह न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिससे अभियुक्त के अन्नय कब्जे से संदेह से जप्ती साबित नहीं हो पाई हैं।

21– अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **380 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

22– परिणामस्वरूप अभियुक्तगण **01 – कैलाश पिता सूरजमल, उम्र 22 साल, निवासी साकरिया, थाना सदर निम्बाहेड़ा, जिला चितौड़गढ़(राज.) 02 – रतनलाल पिता नानुराम, उम्र 27 साल, निवासी साकरिया, थाना सदर निम्बाहेड़ा, जिला चितौड़गढ़(राज.), 03 – अमजद खान पिता मो. सईद खान, उम्र 26 साल, निवासी सादलखेड़ा, थाना निकुम्भ, जिला चितौड़गढ़ हाल ईशाकाबाद निम्बाहेड़ा, जिला चितौड़गढ़(राज.), 04 – मनोहर पिता मदनलाल, उम्र 20 साल, निवासी साकरिया, थाना सदर निम्बाहेड़ा, जिला चितौड़गढ़(राज.), 05 – गुटटन उर्फ अर्जुन पिता नारायणलाल, उम्र 20 साल, निवासी साकरिया, थाना सदर निम्बाहेड़ा, जिला चितौड़गढ़(राज.), 06 – अकबर अली पिता नूर अली, उम्र 22 साल, निवासी साकरिया, थाना सदर निम्बाहेड़ा, जिला चितौड़गढ़(राज.)** को अपराध अंतर्गत धारा **380 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्तगण बर जमानत उपस्थित है, जिनके अन्वीक्षाकालीन उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत–मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

23– न्यायालय के आदेशानुसार धारा–437 (ए) सीआरपीसी के तहत अभियुक्तगण की ओर से अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत छः माह की अवधि के 10,000/– रूपये के जमानत मुचलके इस आशय के पेश कर तस्दीक कराये कि इस निर्णय की अपील होने पर वह अपीलीय न्यायालय में उपस्थित हो जावेगा।

RAVI KANT KHICHI
Digitally signed by RAVI KANT KHICHI
Date: 2026.04.02 17:42:27 +0530

(मनीषा अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)

24– निर्णय आज दिनांक **02.04.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

RAVI KANT KHICHI
Digitally signed by RAVI KANT KHICHI
Date: 2026.04.02 17:42:32 +0530

(मनीषा अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)